



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, सॉकर्ट कोर्ट रीवा  
संभाग, रीवा, (म.प्र.)



Rs. 30/-

R 5362-II/16

विनोद कुमार पिता चन्द्रभान, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम चम्पागढ़, तहसील जवा, जिला

रीवा, (म.प्र.)

अधिकारी कोर्ट के एत  
जिला कार्यालय पेश 08.8.16

..... आवेदक

### बनाम

1. मुस. विमला देवी बेवा रामगोपाल सिंह, उम्र 55 वर्ष, पेशा कृषि,  
इति माप्र० इन्हिमर विजय कुमार पिता रामगोपाल सिंह, उम्र 30 वर्ष, पेशा कृषि  
(कोटि) रो
2. दोनो निवासी ग्राम चम्पागढ़, तहसील जवा, जिला रीवा, (म.प्र.)
3. पटवारी, हल्का चम्पागढ़, रा.नि.म. डभौरा, तहसील जवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी  
त्योंथर, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, (म.प्र.)  
दिनांक 29.07.2016, जो उनके द्वारा प्रकरण  
क्र. 111/अ-6/अपील/2014-15 में पारित  
किया जाकर अनावेदकगण क्र. 1 व 2 द्वारा  
प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद  
अधिनियम त्रुटिपूर्ण ढंग से स्वीकार किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-  
राजस्व संहिता सन् 1959

1 2

R 5362 (II) 16 (Sheet)

17/7/18

26/7/18  
27/7/18  
28/7/18

आवेदन के लिए जारी करना  
को लोगों के लिए उपलब्ध -  
जो वित्तीय सेवा के लिए जिसका  
काम करता है वहाँ उपलब्ध  
कर देता है

अधिकारी

कानून के अनुच्छेद 45  
कानून के अनुच्छेद 45 पर खोजा दू  
जो जारी करता है उपलब्ध कराया जाएगा  
जारी कर देता है

✓ 17/7/18  
संभाल.

✓ 17/7/18  
संभाल.